उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 196/2025–26 दिनांक : 15.01.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री रईस अहमद पुत्र श्री जहांउद्दीन, परिवादी
धनसारा, बाजपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

निर्णय

परिवादी श्री रईस अहमद पुत्र श्री जहांउद्दीन का एक शिकायती पत्र दिनांक 02.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–3611105051861 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल अचानक से बहुत अधिक आने लगा है, जिसकी शिकायत दोराहा कार्यालय में भी की गई है, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन के बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 02.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 09.12.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 11.12.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 11.12.2025 व 26.12.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से सुश्री विजय लक्ष्मी गोस्वामी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4640 दिनांक 24.12.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी की उक्त शिकायत के क्रम में विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, बाजपुर द्वारा अपने पत्रांक 19 दिनांक 09.12.2025 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी एम.आर.आई. रिपोर्ट से परिलक्षित होता है कि विद्युत मापक में प्रदर्शित खपत (केडब्लूएच) असमान्य रूप से कम अन्तराल में अत्यधिक बड़ी है। विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, बाजपुर द्वारा उपलब्ध करायी

क्रमशः 2....

गयी सूचना के क्रम में परिवादी के विद्युत मापक को जम्प मानते हुए परिवादी के विद्युत बिल में कुल 27239 यूनिट का समायोजन रू0 220681.22 देते हुए रू0 3800.78 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, मीटर बदले जाने से सम्बन्धित सीलिंग प्रमाण पत्र, कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री एवं एम.आर.आई. रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 165/2025–26 दिनांक : 15.01.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री ईस्माइल पुत्र श्री खलील अहमद, परिवादी
वार्ड नं0 06, केशवनगर, मुंडिया पिस्तौर, बाजपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

निर्णय

परिवादी श्री ईस्माइल पुत्र श्री खलील अहमद का एक शिकायती पत्र दिनांक 14.10.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–361D104051658 (02 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मापक जम्प करने की वजह से विद्युत बिल अधिक आ गया है। वह अपने विद्युत बिल का भुगतान नियमित रूप से करता आ रहा है। एकमुश्त इतना अधिक यूनिट का बिल जारी किया गया है, जो बहुत अधिक है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मापक के पाठ्यांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 14.10.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.10.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.11.2025, 28.11.2025, 11.12.2025 व 26.12.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से सुश्री विजय लक्ष्मी गोस्वामी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4641 दिनांक 24.12.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा दिनांक 13.10.2025 को विद्युत मापक के जम्प करने के कारण अधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में उपरोक्त शिकायत दर्ज करायी गयी थी, जिसके क्रम में विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, बाजपुर द्वारा दिनांक 21.11.2025 को परिवादी के परिसर

क्रमशः 2....

पर चैक मापक स्थापित किया गया एवं दिनांक 10.12.2025 को चैक मापक फाईनल किया गया, जिसमें विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, बाजपुर द्वारा अपने पत्रांक 21 दिनांक 16.12.2025 द्वारा मैन मापक व चैक मापक की समान समयावधि की विद्युत खपत में अन्तर बताया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से परिवादी का मैन मापक तीव्र पाया गया। अतः विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, बाजपुर की रिपोर्ट के अनुसार दोनों मापकों में अन्तर आने के कारण परिवादी के परिसर पर चैक मापक को मैन मापक बनाया गया तथा नियमानुसार विद्युत बिल में रू0 4245.82 का समायोजन देते हुए रू0 26013.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप चैक मापक रिपोर्ट, संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र नयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 202/2025–26 दिनांक : 15.01.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती नीलम गुप्ता वास्ते श्री अर्पित गुप्ता, परिवादी
रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती नीलम गुप्ता की ओर से श्री अर्पित गुप्ता का एक शिकायती पत्र दिनांक 10.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892A912393787 (04 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल 02 माह की अवधि का एकमुश्त प्रेषित किया गया है, जिससे वित्तीय बोझ बढ़ गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त एकमुश्त विद्युत बिल को माहवार विभाजित कराते हुए संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 11.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 20.12.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.12.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.12.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5393 दिनांक 26.12.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी की बिलिंग प्रणाली द्वारा दिनांक 05.12.2025 को माह 10/2025 से 11/2025 (दिनांक 01.10.2025 से दिनांक 30.11.2025 तक) का विद्युत बीजक धनराशि रू0 1978.00 का निर्गत किया गया था। बिलिंग प्रणाली द्वारा स्वतः ही बीजक में खपत के अनुसार माहवार गणना कर ही निर्गत किया जाता है। वर्तमान में उक्त परिवादिनी पर दिनांक –

क्रमशः 2....

05.12.2025 को निर्गत विद्युत बीजक के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 1978.00 भुगतान हेतु लम्बित है, जोकि सही है। उक्त परिवादिनी के विद्युत बीजक की गणना का विवरण जो इस प्रकार है:–

Period	01-10-2025	30-11-2025
No. of Days		60
Total Consumption Recorded		351 KWH
Per Day Consumption Average.		5.85
Permonth Consumption Average.		175.5
Slab Wise Units	Units rate/ unit	EC to Billed
100	3.65	365
75.5	5.25	396.375
		761.375
For Two Months		1522.75

विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिल एवं कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादिनी प्रश्नगत 60 दिन की अवधि की कुल खपत को 30–30 दिन में बांटते हुए बिल की गणना की गई है, जोकि सही एवं नियमानुकूल हैं। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 178/2025–26 दिनांक : 15.01.2026

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह,
ग्राम भगवानपुर, पो0–दानपुर, रूद्रपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2 विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 29.10.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1K307130940 (04 किलोवाट घरेलू) का माह सितम्बर 2025 का विद्युत बिल सामान्य से अत्यधिक प्रेषित किया गया है। यह स्थिति स्मार्ट मीटर लगने के बाद से उत्पन्न हुई है, जबकि उनके पुराने विद्युत मापक का बिल सही आता था। मीटर रीडर द्वारा पुराने मीटर को खराब बताकर नया स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है, तब से बिल अधिक आ रहा है। इस सम्बन्ध में ऑनलाईन टोल–फ्री नं0 1912 पर भी शिकायत दर्ज करायी गई जिसकी शिकायत संख्या–20710250421 है, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित स्मार्ट मीटर के जारी बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 29.10.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 07.11.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 27.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 27.11.2025, 10.12.2025 व 26.12.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4108 दिनांक 26.12.2025 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के संयोजन पर सोलर लगने के बावजूद सोलर के अनुरूप बिल नहीं बन पा रहे थे। वर्तमान में नियमानुसार परिवादी के बिल में रू0 1940.00 का समायोजन देते हुए रू0 14,156.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, कंज्यूमर लेजर, एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 208/2025–26 दिनांक : 15.01.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती सरला, परिवादी
म0नं0 05, गंगापुर रकवा, काशीपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, जसपुर।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती सरला का एक शिकायती पत्र दिनांक 17.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–JS6SE16686529 जिस परिसर पर स्थापित है, वहां परिसर के नजदीक से ही 11 केवीए विद्युत लाईन गुजर रही है, जिससे हर वक्त खतरा बना रहता है। मौसम खराब होने, आंधी तूफान व बारिस के समय पर परिसर में करंट फैलने का खतरा बना रहता है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय से कई बार शिकायत की गई, परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर के नजदीक से गुजर रही 11 केवीए विद्युत लाईन को उचित स्थान पर स्थानांतरित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, जसपुर को अपने पत्र दिनांक 17.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 24.12.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.12.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.12.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री शैलेन्द्र कुमार सैनी, उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय), जसपुर के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4646 दिनांक 24.12.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि अवर अभियन्ता, सरवरखेड़ा आख्यानुसार उक्त विद्युत लाईन 11 केवी पश्चिमी और 11 केवी प्रकाश पोषक की डबल सर्किट लाईन है। जिसकी स्थिति पूर्व की

क्रमशः 2....

भांति सामान्य है। पूर्व में माह अगस्त / सितम्बर 2024 में डबल सर्किट लाईन पर पुराने तार एवं खम्बे बदलने का अनुरक्षण कार्य कराये गये हैं। पुराने 09 मीटर लम्बाई के खम्बों के स्थान पर 11 मीटर लम्बे खम्बे लगाये गये है। जिससे तारों की ऊँचाई पूर्व से लगभग 2.0 मीटर ऊँची की गई। संलग्न फोटो में दर्शित है, कि पुराने झुके खम्बे के कारण लाईन तार भवन की और नजदीक थे जिन्हें इससे पूर्व एक स्टड चैनल की सहायता से खम्बे को सीधा रखा गया था। संलग्न फोटो से स्पष्ट है कि नये खम्बे लगने के उपरान्त लाईन तारों को भवन से क्षैतिज दूरी 2—3 इंच अधिक होकर बेहतर हुई है। पुराने लाईन स्टॉफ द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत लाईन पूर्व में स्थापित थी। लाईन के बगल में निमार्ण कार्य बाद में कराया गया है। नियमानुसार विद्युत लाईन से निर्धारित क्षैतिज दूरी रखते हुए निर्माण किये जाने पर इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न होने से रोका जा सकता है। वर्तमान में नियमानुसार उपलब्ध विद्या के अनुरूप नंगी तारों के साथ लाइन स्थापित है। 11 केवी लाइन में क्षैतिजतः कोई इन्सुलेशन प्राविधान नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप उपखण्ड अधिकारी, अवर अभियन्ता की लिखित रिपोर्ट एवं विद्युत लाईन फोटोग्राफ की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादिनी की वर्तमान शिकायत 11 केवी विद्युत लाईन को अन्यत्र शिफ्ट कराने के संबन्ध में है। चूंकि लाईन शिफ्टिंग से संबन्धित शिकायतों की सुनवाई करना अथवा उनमें निर्णय पारित करना इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 179/2025–26 दिनांक : 15.01.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती चन्द्रा गंगवार वास्ते श्री आलोक गंगवार, परिवादी
आलोकिक वाटिका भूरारानी, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती चन्द्रा गंगवार वास्ते श्री आलोक गंगवार का एक शिकायती पत्र दिनांक 29.10.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1K317217488 (03 किलोवाट घरेलू) पर 03 किलोवाट ऑन–ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम प्रेम एंटरप्राइजेज, गल्ला मण्डी, रूद्रपुर द्वारा 13 सितम्बर 2025 को लगवाने हेतु सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर भुगतान भी कर दिया गया है, जिसके बाद उक्त सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन तो कर दिया गया है, परन्तु इंस्टालेशन के एक माह बाद तक सिस्टम चालू नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में विक्रेता से सम्पर्क किया गया तो उसने बताया कि यूपीसीएल विभाग से जुड़ी औपचारिकताओं के कारण कार्य लम्बित है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर ऑनग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम की विभागीय कार्यवाही को पूर्ण कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 29.10.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 07.11.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 27.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 27.11.2025, 10.12.2025 व 26.12.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4106 दिनांक 26.12.2025 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के परिसर पर सोलर प्लांट स्थापित होने के बाद स्मार्ट मीटर का प्रतिस्थापन हो गया है तथा परिवादिनी की बिलिंग भी प्रारम्भ हो चुकी है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 210/2025–26 दिनांक : 15.01.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती नरेन्द्र कौर पत्नी श्री तेजवीर सिंह, परिवादी
ग्राम मझौला, खटीमा।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती नरेन्द्र कौर पत्नी श्री तेजवीर सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 18.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH2P102174531 (02 किलोवाट घरेलू) का माह जुलाई 2025 तक का बिल सही आ रहा था, जिसका भुगतान भी उनके द्वारा कर दिया गया। लेकिन अचानक विभाग द्वारा रू0 52000.00 का बिल जारी कर दिया गया है, जो कि गलत है। जबकि उनकी विद्युत खपत बहुत कम है। इस सम्बन्ध में विभाग को कई बार शिकायत की गई लेकिन विभाग द्वारा बिल सही नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर में दर्ज रीडिंग की जांच कराकर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 18.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 24.12.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.12.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.12.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2177 दिनांक 24.12.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के उक्त विद्युत संयोजन की जांच करने पर पाया कि परिवादिनी का विद्युत मापक सही था, परन्तु मीटर रीडर द्वारा गलत पाठ्यांक अंकित करने के कारण बिल आर0डी0एफ0 के निर्गत किये जा रहे थे, जिस कारण परिवादिनी का विद्युत मापक

क्रमशः 2....

दिनांक 26.08.2025 को बदलकर सीलिंग प्रमाण पत्र में अंतिम पाठयांक (31814 केडब्लूएच) प्रदर्शित किया गया है। इसके आधार पर परिवादिनी का विद्युत बीजक मैनुअली गणना के अनुसार संशोधन करने पर रू0 16964.46 का समायोजन देते हुए रू0 35263.54 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 181/2025–26 　　　　　　　　　　　　 दिनांक : 15.01.2026

उपस्थितः　श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री कर्मवीर सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, 　　　　　　　　　　 परिवादी
प्रतापपुर नं0 03, नानकमत्ता, तहसील खटीमा।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता 　　　　　　　　　　　　　　　　　 विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

निर्णय

परिवादी श्री कर्मवीर सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 04.11.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–889M240212710 (08 एच.पी. नलकूप) पर स्थापित विद्युत मीटर की रीडिंग विभाग द्वारा जारी बिल में प्रदर्शित रीडिंग से अलग है जिस कारण गलत रीडिंग के आधार पर गलत धनराशि का बनाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में भी शिकायत की गई, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर मीटर के वास्तविक रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 06.11.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 15.11.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 27.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 27.11.2025, 10.12.2025 व 26.12.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3878 दिनांक 23.12.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत बीजक दिनांक 01.09.2025 में त्रुटिवश 11946 रीडिंग का निर्गत किया गया था, जबकि परिवादी के उक्त संयोजन पर स्थापित मापक की एम.आर.आई. रिपोर्ट के अनुसार मापक में दिनांक 07.12.2025 तक 4985 रीडिंग प्रदर्शित है।

क्रमशः 2....

परिवाद संख्या—181 / 2025—26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

अतः परिवादी के त्रुटिपूर्ण विद्युत बीजक को एम.आर.आई. रिपोर्ट के अनुसार रू0 5792.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिल, कंज्यूमर लेजर, कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री एवं एम.आर.आई. रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मग्वाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 212/2025–26 दिनांक : 16.01.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री बाबू सिंह वास्ते श्रीमती सपना चौधरी,
गांधी कालोनी, रूद्रपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2 विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री बाबू सिंह की ओर से श्रीमती सपना चौधरी का एक शिकायती पत्र दिनांक 20.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU2A456013573 (01 किलोवाट घरेलू) को दिनांक 04.11.2025 को विभागीय कार्यालय जाकर स्थायी रूप से बन्द कराने हेतु सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर दी गयी थी। साथ पूर्ण बकाया बिल का भुगतान भी कर दिया गया था, जिसके उपरान्त विभागीय कार्यालय द्वारा उक्त परिसर से विद्युत मीटर भी उतार लिया गया है। संयोजन को स्थायी रूप से बन्द कराने के बावजूद भी विभाग द्वारा बिल जारी किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन को स्थायी रूप से बन्द कराने एवं विभाग द्वारा जारी गलत बिल को निरस्त कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 20.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 27.12.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 15.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 15.01.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–184 दिनांक 15.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन को स्थायी रूप से विच्छेदित (पी0डी0) कर दिया गया है, जिसके पश्चात् परिवादी को धनराशि रू0 (–) 8566.00 देय है।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप स्थायी विच्छेदन सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप (ओएम) एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 193 / 2025–26 दिनांक : 16.01.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 बालाजी फूड्स केयर ऑफ श्री शुभम गोयल, परिवादी
शिमला पिस्तौर, पो0–लालपुर, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी मै0 बालाजी फूड्स केयर ऑफ श्री शुभम गोयल का एक शिकायती पत्र दिनांक 24.11.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC0K000945834 (275 केवीए औद्योगिक) औद्योगिक प्रयोग हेतु उक्त वर्णित विद्युत संयोजन नियमानुसार प्राप्त किया गया है जिसका प्रथम बिल उपभोग के अनुसार रू0 2,98,562.00 का बनाया गया है, परन्तु दिनांक 31.05.2025 से दिनांक 30.06.2025 तक का बिल रू0 5,24,747.00 उपभोग से अधिक प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में सम्पर्क किया गया तो विभाग द्वारा बताया गया कि परिसर पर स्थापित मापक खराब है। बिल संशोधित करने का आश्वासन दिया गया, परन्तु वर्तमान समय तक बिल संशोधित नहीं किया गया। विभाग द्वारा आईडीएफ के आधार पर 04 माह का बिल रू0 19,41,061.00 प्रेषित किया गया जो उपभोग व औसत के अनुसार सही नहीं है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि उक्त 04 माह में उद्योग की मशीने 24 घंटे के स्थान पर मात्र 08 घंटे ही चली है। बार–बार अनुरोध करने पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन के वास्तविक उपभोग के आधार पर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 26.11.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 06.12.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 10.12.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 10.12.2025, 27.12.2025 व 15.01.2026

क्रमशः 2....

को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्रीमती प्रियंका रानी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5460 दिनांक 14.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि विद्युत बिलों के पिछले माहों की औसत खपत के अनुसार परिवादी के माह 07, 08, 09 व 10 / 2025–26 के बिलों को संशोधित कर रू0 (–) 2,49,007.00 की ऋणात्मक प्रविष्टि से समयोजन दिया जा चुका है। साथ ही दिनांक 18.11.2025 को परिवादी के परिसर पर नया मापक स्थापित कर दिया गया है। नये मापक स्थापित करने के पश्चात निर्गत विद्युत बीजक को पुनः संशोधित कर सीसीबीआर के माध्यम से धनराशि रू0 (–) 1,76,559.00 की ऋणात्मक प्रविष्टि कर दी गयी है। अतः परिवादी के उपरोक्त बिलों के संशोधन के उपरान्त परिवादी का रू0 34,96,761.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है, जो भुगतान हेतु लम्बित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मैयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 182/2025–26 दिनांक : 15.01.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती मनजीत कौर पत्नी श्री अमर सिंह, — परिवादी
प्रतापपुर नं0 03, नानकमत्ता, तहसील खटीमा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती मनजीत कौर पत्नी श्री अमर सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 04.11.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–889M242005489 (05 एंचपी नलकूप) पर स्थापित विद्युत मीटर की रीडिंग विभाग द्वारा जारी बिल में प्रदर्शित रीडिंग से अलग है जिस कारण गलत रीडिंग के आधार पर रू0 1,30,662.00 का बिल बनाया गया है, जोकि गलत है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में भी शिकायत की गई, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर मीटर के वास्तविक पाठयांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 06.11.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 15.11.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 27.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 27.11.2025, 10.12.2025 व 26.12.2025 को परिवादिनी प्रतिनिधि के तथा विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3879 दिनांक 23.12.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर में माह 12/2024 तक 51950 रीडिंग प्रदर्शित है, इसके उपरान्त आईडीएफ के बिल जारी किए गये

क्रमशः 2....

हैं। परिवादिनी का खराब मापक दिनांक 22.05.2025 को परिवर्तित किया गया, जिसके पश्चात परिवादिनी का विद्युत बीजक त्रुटिवश 53581 यूनिट का पुनः निर्गत हो गया। नये विद्युत मापक की एम.आर.आई. रिपोर्ट के अनुसार नये मापक में दिनांक 26.11.2025 तक 395 रीडिंग प्रदर्शित है। अतः परिवादिनी का बीजक माह 12 / 2024 के उपरान्त दिनांक 22.05.2025 तक औसत यूनिट (163) के आधार पर एवं दिनांक 22.05.2025 के उपरान्त एम.आर.आई. रिपोर्ट के अनुसार संशोधित करते हुए रू0 4185.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित विद्युत बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 186/2025–26 दिनांक : 15.01.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 श्री शक्ति राईस मिल एण्ड दाल मिल,
रूद्रपुर रोड, किच्छा। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा। विपक्षी

निर्णय

परिवादी मै0 श्री शक्ति राईस मिल एण्ड दाल मिल का एक शिकायती पत्र दिनांक 06.11.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC0K000030623 (450 केवीए औद्योगिक) का माह मई, जून व जुलाई 2025 का विद्युत बिल रू0 833076.00 का प्रेषित किया गया, जबकि उनके द्वारा माह जून–जुलाई का ऑफ सीजन लिया गया था। साथ ही मीटर खराब होने के कारण बिल रीडिंग व धनराशि दोनों गलत है, जिससे वह सहमत नहीं है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर के वास्तविक की जांचकर उक्त समस्या का समाधान कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 06.11.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 15.11.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 27.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 27.11.2025, 10.12.2025 व 26.12.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, रूद्रपुर एवं श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5112 दिनांक 18.12.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि उक्त परिवाद में दिनांक 10.12.2025 को हुई सुनवाई के दौरान दिए गये निर्देशानुसार परिवादी के माह 05, 06 एवं 07/2025 के बिलों को संशोधित कर रू0 (–) 277185.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ

क्रमशः 2....

साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मधाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 199 / 2025–26 दिनांक : 16.01.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री पंकज कुमार छाबड़ा पुत्र श्री अशोक कुमार छाबड़ा, नन्द विहार कालोनी, रूद्रपुर। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1 — विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री पंकज कुमार छाबड़ा पुत्र श्री अशोक कुमार छाबड़ा का एक शिकायती पत्र दिनांक 05.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892A912367935 (04 किलोवाट घरेलू) पर सोलर पेनल लगाया गया है। सोलर पैनल लगने के बाद से आज दिनांक विभाग द्वारा बिल जारी नहीं किया है। बिल निकालने हेतु विभागीय कार्यालय में भी सम्पर्क किया गया, परन्तु बिल जारी नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर सोलर पैनल स्थापित किये जाने से वर्तमान तक का संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 05.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 12.12.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.12.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.12.2025 व 15.01.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–295 दिनांक 12.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर पर दिनांक 27.09.2024 को सोलर विद्युत मापक स्थापित किया गया था, जिसके उपरान्त परिवादी के बिलिंग प्रणाली में आ रही तकनीकी समस्या के कारण विद्युत बीजक निर्गत नहीं हो पा रहा था। परिवादी के विद्युत बीजक को निर्गत

क्रमशः 2....

करने में पूर्व से आ रही तकनीकी समस्या का समाधान वर्तमान में हो चुका है। वर्तमान में परिवादी का दिनांक 30.11.2024 से दिनांक 26.12.2025 तक Import reading 9052 KWH में Export reading 2788 KWH का समायोजन देते हुए रू0 46157.00 का संशोधित विद्युत बीजक निर्गत कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित विद्युत बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 201/2025–26 दिनांक : 16.01.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती चन्द्रा गंगवार पत्नी श्री सत्येन्द्र कुमार गंगवार, परिवादी
अम्बिका विहार, भूरारानी, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती चन्द्रा गंगवार पत्नी श्री सत्येन्द्र कुमार गंगवार का एक शिकायती पत्र दिनांक 08.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1K317189329 (घरेलू) पर स्थापित 03 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम को चालू कराने हेतु पूर्व में शिकायत की गई थी, जिसके सम्बन्ध में यह बताते हुए खुशी हो रही है, कि विभाग द्वारा रूफटॉप सोलर सिस्टम को ऊर्जीकृत कर समस्या का समाधान कर दिया गया है और सफलतापूर्वक कार्य कर रहा हैं। दूसरा शिकायत उक्त परिसर के सामने स्थित विद्युत पोल को स्थानांतरित कराने के सम्बन्ध में है। इस विभागीय कार्यालय को भी शिकायत की गयी थी, लेकिन उनके द्वारा पोल को स्थानांतरित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर के सामने स्थित विद्युत पोल को स्थानांतरित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 08.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 17.12.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.12.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.12.2025 व 15.01.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–185 दिनांक 15.01.2026 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के द्वारा इंगित विद्युत पोल हटाये जाने के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण कर प्रांकलन तैयार कर दिया गया है जोकि अनुमोदन हेतु लम्बित है। अनुमोदन के उपरान्त परिवादिनी को टी.सी. निर्गत कर दी जायेगी तथा परिवादिनी द्वारा धनराशि जमा कराये जाने के उपरान्त ही पोल को स्थानान्तरित किए जाने की कार्यवाही की जायेगी। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य विद्युत पोल हटाये जाने सम्बन्धी प्राकलन की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादिनी की वर्तमान शिकायत विद्युत पोल की शिफ्टिंग के संबन्ध में है। चूंकि विद्युत पोल की शिफ्टिंग से संबन्धित प्रकरणों की सुनवाई करना अथवा उनमें निर्णय पारित करना इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 192/2025–26 दिनांक : 15.01.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री गोपाल बिस्वास पुत्र श्री महेन्द्र बिस्वास,
गोविन्द नगर, वार्ड नं0 04, ट्राँजिट कैम्प, रूद्रपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1 विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री गोपाल बिस्वास पुत्र श्री महेन्द्र बिस्वास का एक शिकायती पत्र दिनांक 22.11.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–891B129166720 पर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक रूफटॉप सोलर पॉवर सिस्टम लगवाया गया था, लेकिन प्लांट इंस्टॉलेशन के बाद उनके स्मार्ट मीटर पर बनने वाली सोलर एनर्जी रिकॉर्ड नहीं हो रही है। इस वजह से मीटर सोलर पैनल से बनने वाली एनर्जी का हिसाब नहीं दे रहा है और बिल भी कुल खपत के आधार पर बन रहा है, जिसमें सोलर जेनरेशन को घटाया नहीं जा रहा है। जिससे उनको सोलर इंस्टालेशन से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उनका मानना है कि स्मार्ट मीटर सही नेट मीटरिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है या बैकवर्ड फ्लो/सोलर जेनरेशन को रिकार्ड नहीं कर पा रहा है। इस सम्बन्ध में डिपार्टमेंट से निवेदन किया गया कि अभी के स्मार्ट मीटर को नॉर्मल मीटर या सही नेट मीटर से बदलें जो सोलर जेनरेशन रिकार्डिंग को पूरी तरह सपोर्ट करता हो। टेक्निकल दिक्कत को जल्द से जल्द चेक करें और ठीक करें ताकि सोलर पैनल से जेनरेट हुई यूनिट्स बिलिंग साईकिल में सही दिखाई दे व समायोजित हो। शिकायतकर्ता ने इस मंच से इस मामले का संज्ञान लेते हुए विद्युत मीटर बदलवाने एवं विद्युत बिल में सोलर यूनिट समायोजित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 22.11.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 29.11.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक

क्रमशः 2....

10.12.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 10.12.2025 व 26.12.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—5394 दिनांक 26.12.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के बिलिंग प्रणाली द्वारा दिनांक 13.12.2025 को माह 10 / 2025 से माह 11 / 2025 (दिनांक 01.10.2025 से दिनांक 30.11.2025 तक) का रू0 14728.00 (पूर्व के बकाये के साथ) का विद्युत बीजक निर्गत किया गया था। बिलिंग प्रणाली द्वारा निर्गत उक्त विद्युत बीजक में परिवादी के परिसर पर स्थापित सोलर विद्युत मापक / स्मार्ट मापक की खपत के Export Reading 119 to 524 KWH का समायोजन देते हुए विद्युत बीजक निर्गत किया गया है। वर्तमान में परिवादी का दिनांक 18.03.2025 से दिनांक 01.10.205 तक का विद्युत बीजक मैनुअल गणना के आधार संशोधित करने पर रू0 13587.00 का समायोजन देते हुए रू0 1141.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, विद्युत बिल, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र सयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 214 / 2025–26 दिनांक : 16.01.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती रूकमणी वास्ते श्री जसनन्दन, परिवादी
अलास्का कॉलोनी, ग्रीन 1, कोठा नारायणपुर, लालपुर, किच्छा।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती रूकमणी की ओर से श्री जसनन्दन का एक शिकायती पत्र दिनांक 22.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC1F131127037 (03 किलोवाट घरेलू) नया कनेक्शन लेने के दौरान पुराना मीटर लगाया गया था। उस पुराने मीटर में रीडिंग बैक की तकनीकी समस्या होने के कारण पिछले 3 महीनों से गलत बिल जारी किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अवर अभियन्ता को भी सूचित किया गया था कि खराब मीटर के कारण जारी गलत बिल को संशोधित किया जाए, परन्तु अभी तक बिल में कोई सुधार नहीं किया गया है और न ही मीटर बदला गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर को बदलवाते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 23.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.12.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 15.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 15.01.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्रीमती प्रियंका रानी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5256 दिनांक 30.12.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के विद्युत बिल में सीसीबीआर के माध्यम से रू0 8020.00 की ऋणात्मक प्रविष्टि कर दी गई है, जो परिवादिनी के विद्युत लेजर में अप्रूव होने के

क्रमशः 2....

उपरान्त रू0 16233.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र नयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 216/2025–26 दिनांक : 16.01.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती हेमेन्द्र वटी पत्नी श्री लालता प्रसाद, परिवादी
प्लाट नं0 74, फुलसुंगी, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती हेमेन्द्र वटी पत्नी श्री लालता प्रसाद का एक शिकायती पत्र दिनांक 22.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892A912197286 (घरेलू) पर मोबाईल नम्बर दर्ज नहीं है, मोबाईल नम्बर अपडेट न होने की वजह से ओटीपी/संदेश प्राप्त नहीं हो रहे है। इस सम्बन्ध में विभागीय टोलफ्री नम्बर 1912 पर भी दर्ज करायी गयी है, लेकिन अभी तक मोबाईल नम्बर अपडेट नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर मोबाईल नम्बर अपडेट कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 23.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.12.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 15.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 15.01.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–471 दिनांक 14.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के उक्त विद्युत संयोजन की 'स्मार्ट मीटर विद्युत शिकायत' के अनुपालन में परिवादिनी के मोबाईल नम्बर 9917778000 को मै0 अडाणी एनर्जी सोल्यूशन से अपडेट करा दिया गया है। वर्तमान में परिवादिनी के उक्त विद्युत संयोजन में मोबाईल

क्रमशः 2....

नम्बर 9917778000 अपडेट कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप मोबाईल नम्बर अपडेट प्रोफाईल फोटोग्राफ की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मैथाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 218/2025–26 दिनांक : **16.01.2026**

उपस्थितः **श्री रमेश चन्द्र मयाल**
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री राम चन्द्र पुत्र श्री लद्दा राम, **परिवादी**
ग्राम अब्दुल्लानगर, गदरपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री राम चन्द्र पुत्र श्री लद्दा राम का एक शिकायती पत्र दिनांक 26.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU9MK02006816 (05 एच.पी. नलकूप) पर स्थापित विद्युत मीटर में दर्ज रीडिंग 16167 केडब्लूएच है, जबकि बिल में गलत रीडिंग दर्ज कर बिल बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर में दर्ज पाठ्यांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 26.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 03.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 15.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 15.01.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–191 दिनांक 15.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के माह 07/2024 में पुरानी यूनिट का समायोजन सीसीबीआर के माध्यम से दिया गया था, जिसमें रू0 1,02,559.00 की धनराशि परिवादी के लेजर से घटायी जानी थी। संज्ञान में लाना है कि सीसीबीआर फीड करते समय उक्त धनराशि का समायोजन 01 बार की जगह त्रुटिवश 02 बार हो गया था जिसके फलस्वरूप परिवादी का बिल (–) 45408.00 का शेष रह गया था। त्रुटि के संज्ञान में आने पर दिनांक 03.04.2025 को धनराशि रू0 1,02,559.00

क्रमशः 2....

को परिवादी के लेजर में पुनः जोड़ दिया गया, जिसके उपरान्त परिवादी का विद्युत बिल दिनांक 03.04.2025 को धनराशि रू0 63550.00 का हो गया। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब दावे में स्पष्ट कर दिया गया है कि माह 07/2024 में पुरानी यूनिट के समायोजन के सापेक्ष परिवादी के कंज्यूमर लेजर से रू0 102559.00 की धनराशि घटाई जानी थी, जो त्रुटिवश दो बार घटा दी गई थी। उक्त त्रुटि के सुधार हेतु ही दिनांक 03.04.2025 को लेजर में उक्त धनराशि पुनः जोड़ी गई है। चूंकि विभाग द्वारा पूर्व में हुई गलती को सुधारने के उद्देश्य से परिवादी के लेजर में रू0 102559.00 जोड़े गए हैं, जोकि सही है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र सयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 219/2025–26 दिनांक : 16.01.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, परिवादी
ग्राम हल्दी, खटीमा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादी श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री किशन सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 26.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH9N240001987 (05 एच.पी. नलकूप) का विद्युत बिल गलत रीडिंग के आधार पर बनाया जा रहा है, इस सम्बन्ध में पिछले 02 वर्षों से विभागीय कार्यालय चक्कर लगाकर शिकायत की जा रही है, परन्तु बिल सही नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर में दर्ज पाठयांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 26.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 03.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 15.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 15.01.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–30 दिनांक 14.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का संयोजन निजी नलकूप संयोजन है। जिसके विद्युत बीजक परिसर पर स्थापित विद्युत मापक में दर्ज पाठयांक के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं। वर्तमान में परिवादी के विद्युत बीजक परिसर पर स्थापित विद्युत मापक के पाठयांक 53874

क्रमशः 2....

केडब्लूएच के आधार पर धनराशि रू0 452.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 220 / 2025–26 दिनांक : 16.01.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

सुश्री रीना गंगवार पुत्री श्री मोहन लाल, परिवादी
शनि मन्दिर, वार्ड नं0 14, भदईपुरा, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादिनी सुश्री रीना गंगवार पुत्री श्री मोहन लाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 29.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–891A567224032 (01 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर काफी पुराना है, जिसका कवर धूंधला हो गया है। कवर धूंधला होने की वज़ह से मीटर रीडर द्वारा गलत रीडिंग दर्ज कर आरडीएफ के बिल जारी किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मीटर रीडर से बिल अधिक आने की शिकायत की गयी तो मीटर रीडर द्वारा मीटर का कवर तोड़कर वास्तविक रीडिंग ली गयी और कहा अगला बिल सही आयेगा। इसके उपरान्त भी आरडीएफ का बिल जारी किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर में दर्ज पाठयांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 29.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 03.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 15.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 15.01.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–472 दिनांक 14.01.2026 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी का विद्युत बीजक माह 01 / 2025 से गलत रीडिंग आरडीएफ के आधार पर जारी किया जा रहा था, जिसका स्थलीय निरीक्षण करने पर मापक में दर्ज रीडिंग 6688 केडब्लूएच के अनुसार दिनांक 06.12.2024 से दिनांक 10.12.2025 तक के आरडीएफ बिलों को संशोधित कर रू0 4330.00 का बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मैयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 223/2025–26 दिनांक : 16.01.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री दुलार मंडल, परिवादी
वार्ड नं0 07, दिनेशपुर, तहसील गदरपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री दुलार मंडल का एक शिकायती पत्र दिनांक 31.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU2D204140855 (01 किलोवाट घरेलू) के विद्युत बिल में 12 किलोवाट विद्युत भार दर्शाया जा रहा है, जबकि उनका उक्त संयोजन 01 किलोवाट भार में स्वीकृत है जिस कारण बिल अधिक आ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन के वास्तविक भार 01 किलोवाट के अनुसार विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 31.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 06.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 15.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 15.01.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–189 दिनांक 15.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत बीजकों की जांच करने पर परिवादी के विद्युत बीजक से अवास्तविक धनराशि रू0 11250.00 को कम करते हुए रू0 11103.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

क्रमशः 2....

परिवाद संख्या—223 / 2025—26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र नयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 225/2025–26 दिनांक : 16.01.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री दिलजिन्दर सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, परिवादी
ग्राम पुरनापुर, खटीमा।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादी श्री दिलजिन्दर सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 31.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH1P149117342 (05 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल आरडीएफ के आधार पर जारी किया जा रहा है। आरडीएफ में बिल बनने के कारण अत्यधिक धनराशि का जारी हो रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की हैं।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 31.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 06.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 15.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 15.01.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–32 दिनांक 14.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के बिलिंग हिस्ट्री विवरण जांचने पर ज्ञात हुआ कि परिवादी द्वारा अपने घरेलू संयोजन का भार 04 किलोवाट से बढ़ाकर 05 किलोवाट कराया गया था, जिसमें अवर अभियन्ता द्वारा सिंगल फेज विद्युत मापक के स्थान पर थ्री फेज विद्युत मापक लगाकर सर्विस रिलीज कर दी गयी थी। इसके उपरान्त त्रुटिवश पुराने विद्युत मापक के अन्तिम पाठयांक 21633 केडब्लूएच को नये विद्युत मापक के पाठयांक में चढ़ा दिया गया था, जिस कारण परिवादी

क्रमशः 2....

को आरडीएफ में बिल निर्गत हो रहे थे। वर्तमान में परिवादी के विद्युत बीजक को परिसर पर स्थापित विद्युत मापक में वास्तविक पाठयांक 8468 केडब्लूएच के आधार पर ऑनलाईन संशोधन करते हुए अवास्तविक धनराशि रू0 157720.08 को घटाकर रू0 65951.92 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने ज़वाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, विद्युत बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार क़िया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मैयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 226/2025–26 दिनांक : 16.01.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड वास्ते श्री विकास खतरी, परिवादी
ग्राम पटेरी, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी मै0 इण्डस टॉवर लिमिटेड की ओर से श्री विकास खतरी का एक शिकायती पत्र दिनांक 31.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC0K000671878 (05 किलोवाट व्यवसायिक) के माह नवम्बर 2025 के विद्युत बिल में 35 किलोवाट भार की असामान्य मांग दर्ज करते हुए रू0 6600.00 का अतिरिक्त मांग शुल्क लगाया गया है। जबकि उनका कनेक्टेड लोड कभी भी निर्धारित सीमा से अधिक नहीं रहा है। बिल में लगाये गये अतिरिक्त मांग शुल्क को हटाने हेतु विभागीय कार्यालय में भी सम्पर्क किया गया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके उपरान्त से सभी बिल त्रुटिपूर्ण जारी किए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर जारी बिल में लगाये गये अतिरिक्त मांग शुल्क हो हटाते हुए विलम्ब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल जारी कराने एवं उक्त कृत्य हेतु मुआवजा दिलाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 31.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 06.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 15.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 15.01.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्रीमती प्रियंका रानी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5356 दिनांक 06.01.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का माह 11/2025 के बिल में तकनीकी त्रुटि के

क्रमशः 2....

कारण विद्युत भार 35 केडब्लूएच प्रदर्शित हुआ जिस कारण परिवादी का अतिरिक्त भार राशि रू0 6600.00 प्रदर्शित हुआ। विद्युत मीटर की एम.आर.आई. जांचने पर पाया गया कि परिवादी द्वारा 0.66 केडब्लूएच अतिरिक्त भार प्रयोग किया गया जिसके आधार पर परिवादी के वर्तमान बिल में से रू0 6454.80 को घटाते हुए संशोधित बिल रू0 4192.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मंयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 189 / 2025–26 दिनांक : 30.01.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 एल.ए. ओपला आर.जी. लिमिटेड, परिवादी
प्लॉट संख्या–बी108, ईएसआईपी, सितारगंज।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

निर्णय

परिवादी प्रतिष्ठान मै0 एल.ए. ओपला आर.जी. लिमिटेड का एक शिकायती पत्र दिनांक 18.11.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–880K000002213 (4000 केवीए औद्योगिक) का माह अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक का विद्युत बिलिंग पैटर्न निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	माह	राशि (रू0)
1.	अप्रैल–2024	1,53,66,387
2.	मई–2024	1,55,07,881
3.	जून–2024	1,62,97,165
4.	जुलाई–2024	1,60,63,532
5.	अगस्त–2024	1,62,04,284
6.	सितम्बर–2024	1,64,31,686
7.	अक्टूबर–2024	1,55,25,788
8.	नवम्बर–2024	1,27,69,334
9.	दिसम्बर–2024	47,75,864
10.	जनवरी–2025	61,40,148
11.	फरवरी–2025	1,43,86,542
12.	मार्च–2025	1,24,31,228
	कुल–	**16,18,99,839**

UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulation, 2020 के अनुसार उनके प्रतिष्ठान को अपने पिछले वर्ष के औसत बिल राशि के

क्रमशः 2....

दो महीने के बराबर Security Deposit यूपीसीएल के पास जमा करनी होगी। विगत वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक) की अवधि में उनकी कुल विद्युत बिल राशि रू0 16,18,99,839.00 है, जिसकी औसत मासिक राशि रू0 1,34,91,653.00 है व डेढ़ माह की राशि रू0 2,02,37,480.00 बनती है। वर्तमान में विद्युत विभाग के पास उनकी जमा Security Deposit राशि रू0 2,89,87,638.00 है, जो उपरोक्त विनियमों में निर्दिष्ट Security Deposit राशि से अधिक है। इस तरह यूपीसीएल के पास उनके Security Deposit मद में रू0 87,50,159.00 अतिरिक्त जमा हैं। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.05.2025 के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, सितारगंज को अधिशेष Security राशि वापस करने का अनुरोध किया गया, जिसके उपरान्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्धारित माध्यम से अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता एवं निदेशक परिचालन तक यह प्रकरण अग्रसारित करते हुए हमारी अधिशेष Security राशि वापस करने की मांग से अवगत कराया गया। निदेशक परिचालन द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.08.2025 के माध्यम से मुख्य अभियन्ता, रूद्रपुर को निर्देशित किया गया कि विभाग में जमा हमारी अधिशेष Security राशि को हमारे आगामी बिलों में समायोजित करें। निदेशक परिचालन के उक्त निर्देश के उपरांत ला ओपाला द्वारा दिनांक 20.05.2025 को पुनः विभाग के समक्ष अपना अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया, परंन्तु खण्ड कार्यालय द्वारा सकारात्मक कार्यवाही करने की बजाए सिर्फ पत्राचार ही किए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता ने अपने शिकायती पत्र में विद्युत अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं, Electricity Supply Code के विनियमों एवं टैरिफ ऑर्डर्स का उल्लेख करते हुए इस मंच से उनकी अधिशेष Security राशि (रू0 8750159.00) वापस दिलाने एवं उक्त राशि पर 11 फीसद की दर से ब्याज दिलाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को को अपने पत्र दिनांक 19.11.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 25.11.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 27.11.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 27.11.2025, 10.12.2025, 26.12.2025 व 15.01.2026 को परिवादी के अधिवक्ता श्री शकील ए. सिद्दिकी के एवं विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

दिनांक 26.12.2025 को सुनवाई के दौरान विपक्षी विभाग के सहायक अभियंता राजस्व ने अधिशासी अभियन्ता के पत्र संख्या—3877 दिनांक 23.12.2025 के द्वारा अपना लिखित जवाब दाखिल करते हुए इस मंच को अवगत कराया कि वर्तमान में परिवादी प्रतिष्ठान के रू0 28987638.00 Existing Security के रूप में विभाग में जमा हैं। परिवादी द्वारा अपनी शिकायती पत्र में विद्युत अधिनियम—2003 की धारा—47 का उल्लेख किया गया है, परन्तु अधिनियम की उक्त धारा में Security Deposit की अतिरिक्त राशि को वापस किए जाने का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulation, 2020 के विनियम— (iv) का भी परिवादी द्वारा उल्लेख किया गया है, परन्तु उसमें भी स्पष्ट किया गया है कि "....पिछले वित्तीय वर्ष के N+1 माह की औसत खपत की राशि अथवा Existing Security राशि, जो भी अधिक हो, को Security Deposit के रूप में रखा जाएगा......।" विभाग के पास परिवादी प्रतिष्ठान की Security Deposit की धनराशि नियमानुसार जमा रखी गई है।

क्रमशः 3....

समीक्षा

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस (31.03.2025) की समाप्ति पर परिवादी प्रतिष्ठान के रू0 28987638.00 विपक्षी विभाग के पास Security Deposit के रूप में जमा थे। परिवादी प्रतिष्ठान का कथन है कि विभाग में जमा धनराशि, विगत वित्तीय वर्ष की N+1 माह अवधि की औसम खपत के अनुसार नए वित्त वर्ष के लिए निर्धारित होने वाली Security Deposit राशि से रू0 8750159.00 अधिक है। अतः विभाग द्वारा यह अतिरिक्त धनराशि उनको वापस की जाए। परिवादी द्वारा अपनी इस मांग के लिए The Electricity Act, 2003 की धारा—47 एवं UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulation, 2020 के विनियम—4.2 समेत 2025 के टैरिफ आर्डर को आधार बनाया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब दावे में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि The Electricity Act, 2003 की धारा—47 एवं Electricity Supply Code, दोनों में Security Deposit की अतिरिक्त राशि को वापस करने का प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

पत्रावली के सम्यक परिशीलन एवं उभय पक्षों के तर्क सुनने के उपरांत यह मंच Security Deposit के संबन्ध में The Indian Electricity Act, 2003 की धारा—47 में वर्णित विधिक प्रावधानों का यहां उल्लेख करना उचित समझता है, जोकि निम्नानुसार हैं.....

"<u>Section-47 (Power to require Security):</u>

(1) Subject to the provisions of this section, a distribution Licensee may require any person, who requires a supply of electricity in pursuance of section 43, <u>to give him reasonable security, as may be determined by regulation,</u> for the payment to him of all monies which may become due to him-

(a) <u>In respectb of the electricity supplied to such person;</u> or

(b) Where any electric line or electrical plant or electric meter is to be provided for supplying electricity to person, in respect of the provision of such line or plant or meter,

and if that person fails to give such security, the distribution licensee may, if he thinks fit, refuse to give the supply of electricity or to provide the line or plant or meter for the period during which the failure continues.

(2) Where any person has not given such security as is mentioned in subsection (1) or the security given by any person has become invalid or insufficient, the distribution licensee may, by notice, require that person, within thirty days after the service of the notice, to give him reasonable securiy for the payment of all monies which may become due to him in respect of the supply of electricity or provision of such line or plant or meter.

(3) If the person referred to sub-section (2) fails to give such security, the distribution licensee may, if he thinks fit, discontinue the supply of electricity for the period which the failure continues.

(4) The distribution licensee shall pay <u>interest equivalent to the bank rate or more, as</u>

क्रमशः 4....

may be specified by the concerned state commission, on the security referred to in sub-section (1) and refund such security on the request of the person who gave such security.

(5) A distribution licensee shall not be entitled to require security in pursuance of clause (a) of sub-section (1) if the person requiring the supply is prepared to take the supply through a pre-payment meter."

यहां पर UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulation, 2020 के उपविनियम—4.2 का उल्लेख करना भी समीचीन होगा, जोकि निम्नवत है.....

"4.2) Additional Security Deposit:

1) Balance of Security Deposite as on 31st March of the previous year sall be "Existng Security Deposit". Consumer is reqiured to maintain a sum equivalent of estimated average consumption of 'N'+1 months of previous financial year or the existing security deposit with the Licensee, **whichever is higher,** as security deposit (required Security deposit) towards any delay or default in payment. Here 'N' is the number of months in a billing cycle approved in the Tariff Order applicable for precedig year.
2) The Licensee shall review the consumption pattern of the consumer for the adequacy of the security deposit from April to March of the previous year. Excess of Required Security Deposit over Existing Security Deposit shall be Additional Security Deposit. Assessment of Additional Security Deposit shall be done once a year in the month of April and the same shall be reflected in the next bill. Such reflected amount shall be deposited by the consumer through case/DD/RTGS/NEFT or any other electronic mode accepted by distribution licensee."

The Indian Electricity Act, 2003 की धारा—47 में वर्णित विधिक प्रावधानों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी विद्युत उपरोक्ता से विद्युत आपूर्ति के एवज में ली जाने वाली Security deposit एवं जमा Security deposit पर मिलने वाले ब्याज की गणना संबन्धित राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों के अनुसार की जाएगी। धारा—47(4) में इसका स्पष्ट उल्लेख है। उपभोक्ता के अनुरोध पर Security deposit वापस किए जाने का प्रावधान मौजूद है, जोकि संयोजन विच्छेदित होने की स्थिति में ही लागू होना संभव होगा। किन्तु संयोजन यथावत रहने की स्थिति में Security deposit के रूप में पूर्व से जमा वांछित राशि के अतिरिक्त धनराशि वापस किए जाने का कोई प्रावधान इस अधिनियम में उपलब्ध नहीं है।

माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters Regulation, 2020 के विनियम—4.2(1) में भी नए वित्त वर्ष हेतु Security deposit की गणना / निर्धारण का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। उक्त विनियम के अनुसार विगत वित्त वर्ष के अंतिम दिवस (31 मार्च) को Security deposit के रूप में

क्रमशः 5....

जमा धनराशि को अगले वित्त वर्ष हेतु Existing security माना जाएगा। नए वित्त वर्ष हेतु Security Deposit की वांछित राशि का निर्धारण, विगत वित्त बर्ष में 'N'+1 माह की औसत खपत के अनुसार अथवा Existing security, जो भी अधिक हो के आधार पर किया जाएगा। वर्तमान प्रकरण में Existing security की राशि रू0 28987638.00 है, जबकि विगत वित्त वर्ष में 'N'+1 माह की औसत खपत के आधार पर गणना करने पर Security deposit की वांछित धनराशि लगभग रू0 20237480.00 बनती है। वर्तमान प्रकरण में Existing security की धनराशि अधिक है। अतः इस मंच का स्पष्ट मत है कि उपरोक्त विनियम—4.2(1) के अनुसार वर्तमान प्रकरण में Existing security की धनराशि रू0 28987638.00 को ही नए वित्त वर्ष हेतु Security deposit निर्धारित किया जाना सही एवं नियमानुकूल है। चूंकि उपरोक्त विनियम के अनुसार नए वित्तीय वर्ष हेतु परिवादी प्रतिष्ठान की Security deposit रू0 28987638.00 निर्धारित हो चुकी है, जिसके उपरांत विपक्षी विभाग के पास Security deposit मद में परिवादी की कोई अतिरिक्त धनराशि अवशेष नहीं बचती है। अतः परिवादी प्रतिष्ठान की यह वर्तमान शिकायत स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

आदेश

परिवादी प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपरोक्तानुसार अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य